[illegible]:- मुरादाबाद,जनपद:- अमरोहा,तहसील:- हसनपुर
न्यायालय उपजिलाधिकारी
वाद संख्या:- 6893/2022

श्री संजीव कुमार गुप्ता बनाम उत्तर प्रदेश सरकार

कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T202213387003689३

अंतर्गत धारा:- 80,उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

आदेश तिथि:- 01/10/2022

अंतिम आदेश

प्रस्तुत वाद श्री संजीव कुमार गुप्ता पुत्र श्री रामऔतार गुप्ता मै0 एक्सिस एग्रोकाम प्रा0 लि0 ई0-261 अमर कलोनी लाजपत नगर 4 नई दिल्ली द्वारा प्रतिनिधि श्री संजीव कुमार गुप्ता पुत्र राम औतार गुप्ता निवासी गोयल नगर, मानपुर मुरादाबाद तहसील व परगना मुरादाबाद जनपद मुरादाबाद, द्वारा न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तगत धारा-80 (1) उ0प्र0 राजस्व संहिता -2006 प्रस्तुत कर अनुरोध किया है कि प्रार्थी की भूमि स्थित ग्राम आजादपुर माफी, तहसील हसनपुर जिला अमरोहा के गाटा स0 188/0.1740है0 भूमि के स्वामी व काबिज है। वर्तमान मैं उक्त भूमि पर कोई कृषि कार्य नही हो रहा है। अन्त मे उक्त भूमि को कृषिक के स्थान पर अकृषिक भूमि घोषित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उर्पयुक्त प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध मै तहसीलदार हसनपुर से जॉचौपरान्त आख्या तलब की गयी तहसीलदार हसनपुर ने अपनी जॉच आख्या दिनांक 10.09.2022 के द्वारा अवगत कराया है कि भूमि स्थित ग्राम आजादपुर माफी तहसील हसनपुर जिला अमरोहा के नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप मै दर्ज है उक्त गाटा संख्या खतौनी फसली सन 1429-1434 के खाता सख्या 00132 पर श्री संजीव कुमार गुप्ता पुत्र राम औतार गुपता मै0 एक्सिस एग्रोकाम प्रा0 लि0 ई0-261 अमर कलोनी लाजपत नगर 4 नई दिल्ली द्वारा प्रतिनिधि श्री संजीव कुमार गुप्ता पुत्र राम औतार गुप्ता निवासी गोयल नगर, मानपुर मुरादाबाद तहसी व परगना मुरादाबाद जनपद मुरादाबाद के नाम दर्ज है राजस्व अभिलेखों यथा 1359 फसली जोत चकबन्दी 41 व 45 व वर्तमान खतौनी मैं कृषि भूमि अकिंत है। इसमें सार्वजनिक/ग्राम सभा व धारा 77 की सम्मिलित नही है और उक्त भूमि के बावत किसी न्यायालय में कोई वाद विचाराधीन नही है उक्त भूमि विवाद रहित है। उक्त भूमि पर आवेदक मौके पर काबिज एवं दाखील है। उक्त भूमि मे मौके पर खाली है। उक्त भूमि में कृषि कार्य/मत्स्य पालन/कुक्कट पालन/बागवानी आदि का कार्य नहीं किया जा रहा है, बल्कि उक्त भूमि मौके पर कृषि प्रयोजन के बजाये गैर कृषिक प्रयोजन में लाई जा रही है। उक्त भूमि हस्तीनापुर वन्य जीव विहार/सेंचुरी ऐरिया, सड़क व रेलवे लाईन के अन्तगत नही आती है और ना ही उक्त भूमि किसी योजना/परियोजना के अन्तगत अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित नही है। अन्त में उक्त भूमि स्थित ग्राम आजादपुर माफी तहसील हसनपुर जिला अमरोहा के गाटा संख्या 188/0.1740है0 खाता खतौनी संख्या 00132 यूनिक गाटा सं0 118199-0188-0000012 को गैर अकृषिक भूमि घोषित किये जाने हेतु आख्या संस्तुति सहित प्रेषित की गयी है।

मैंने प्रार्थी को सुना। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखीय साक्ष्यों एवं तहसीलदार हसनपुर की जाच आख्या दिनांक 10.09.2022 का अवलोकन एवं परीक्षण किया। तहसीलदार हसनपुर की जाच आख्यानुसार प्रार्थी की भूमि कृषि प्रयोजन के बजाय गैर कृषिक उपयोग में प्रयोग हो रही है। उक्त भूमि मे कृषि कार्य/मत्सय पालन/कुक्कट पालन/बागवानी आदि का कार्य नहीं किया जा रहा है, बल्कि उक्त भूमि मौके पर कृषि प्रयोजन के बजाये गैर कृषिक प्रयोजन में लाई जा रही है। उक्त भूमि हस्तिनापुर वन्य जीव बिहार/सैंचुरी ऐरिया, सड़क व रेलवे लाईन के अन्तगत नही आती है और ना ही उक्त भूमि किसी योजना/परियोजना के अन्तगत अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित है।

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता-2006 (संशोधन) अध्यादेश, 2019 की धारा-80(2) मे प्राविधानिक किया गया है कि इस उपधारा के अधीन घोषणा के लिये जोत या उसके उपयोग भाग के चारो और चार दीवारी अवश्य होनी चाहिए, जो इस प्रयोजनार्थ उपयोग किया जाना प्रस्तावित हो: परन्तु यह और कि यदि भूमिधर, इस उपधारा के अधीन घोषणा के दिनांक से पांच वर्ष की अवधि के भीतर प्रस्तावित गैर कृषि सम्बन्धी गतिविधि प्रारम्भ करने मे विफल रहता है, तो उपधारा (2) के अधीन जोत या उसके आंशिक भाग की घोषणा व्यपगत हो जाएगी, परन्तु यह और भी कि इस उपधारा के अधीन घोषणा भू-उपयोग परिवर्तन की कोटि मे नही होगी और उक्त भूमि निरन्तर कृषि के रूप में ही समझी जाएगी, यथापि, भूमिधर ऐसी जोत या उसके आंशिक भाग, जिसके लिए इस उपधारा के अधीन घोषणा प्राप्त की गई हो, पर प्रस्तावित अथवा परियोजना के लिए ऋण और अन्य आवश्यक अनुज्ञाएँ, समाशोधन आदि प्राप्त करने का हकदार होगा। प्रार्थी द्वारा राजस्व संहिता नियामवली-2006 के नियम-85 के प्रस्तर-2 के अनुसार जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्धारित सर्किल रेट के अनुसार उक्त भूमि का एक प्रतिशत न्यायाल शुल्क अंकन रूपये 5920-00 चालान सं0-8601/01/जे0आई0.00010 दिनंाक 01.10.2022, उदघोषणा शुल्क रूपये 5920-00 चालान संख्या 8601/01/जे0आई0.00011 एंव सीमाकंन शुल्क रूपये 1000-00 चालान सं0-8601/01/जे0आई.00007 दिनांक 01.10.2022 को जमा किया जा चुका है। अतः उर्पयुक्त विवेचना से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि तहसीलदार हसनपुर की जांच आख्या दिनांक 10.09.2022 स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः तहसीलदार हसनपुर की आख्यां दिनांक 10.09.2022 स्वीकार की जाकर आवेदक श्री संजीव कुमार गुप्ता पुत्र राम औतार गुप्ता मैo एक्सिस एग्रोकाम प्राo लिo ई0-261 अमर कलोनी लाजपत नगर 4 नई दिल्ली द्वारा प्रतिनिधि श्री संजीव कुमार गुप्ता पुत्र राम औतार गुप्ता निवासी गोयल नगर, मानपुर मुरादाबाद तहसी व परगना मुरादाबाद जनपद मुरादाबाद भूमि स्थित ग्राम आजादपुर माफी तहसील हसनपुर जिला अमरोहा के गाटा सं0/क्षे0 188/0.1740है0 को लगान मुक्त करते हुए उ0प्र0 राजस्व संहिता-2006 की धारा-80(2) के अन्तर्गत अकृषिक घोषित किया जाता है। नजरी नक्शा एवं तहसीलदार हसनपुर की जांच आख्या दिनांक 10.09.2022 आदेश अंग रहेगी। आदेश की एक प्रति तहसीलदार हसनपुर को अमलदरामद हेतु एवं उप निबंधक हसनपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाये। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफतर हो।

दिनांक 01.10.2022

(सुधीर कुमार)
सहा0 कलैक्टर(प्र0 श्रेणी)/
उप जिलाधिकारी हसनपुर।

मण्डल:- मुरादाबाद,जनपद:- अमरोहा,तहसील:- हसनपुर
न्यायालय उपजिलाधिकारी
वाद संख्या:- 6894/2022
श्रीमती संगीता कान्त बनाम उत्तर प्रदेश सरकार
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T2022133870036894
अंतर्गत धारा:- 80,उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006
आदेश तिथि:- 01/10/2022

अंतिम आदेश

प्रस्तुत वाद श्रीमती संगीता कान्त पत्नी कमल कान्त जैन पुत्री विजयपाल सिंह निवासी बी0 9 सेक्टर 33 नोएडा
गौतमबुद्धनगर, द्वारा न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तगत धारा-80 (1) उ0प्र0 राजस्व संहिता -2006 प्रस्तुत कर
अनुरोध किया है कि प्रार्थनी की भूमि स्थित ग्राम आजादपुर माफी, तहसील हसनपुर जिला अमरोहा के गाटा स0 187/0.1740है0
भूमि के स्वामी व काबिज है। वर्तमान में उक्त भूमि पर कोई कृषि कार्य नहीं हो रहा है। अन्त में उक्त भूमि को कृषिक के स्थान
पर अकृषिक भूमि घोषित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उर्पयुक्त प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में तहसीलदार हसनपुर से जॉचोंपरान्त आख्या तलब की गयी तहसीलदार हसनपुर
ने अपनी जॉच आख्या दिनांक 10.09.2022 के द्वारा अवगत कराया है कि भूमि स्थित ग्राम आजादपुर माफी तहसील हसनपुर
जिला अमरोहा के नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज है उक्त गाटा संख्या खतौनी फसली सन 1429-1434 के खाता सख्या
00245 पर श्रीमती संगीता कान्त पत्नी कमल कान्त जैन पुत्री विजयपाल सिंह निवासी बी0 9 सेक्टर 33 नोएडा गौतमबुद्धनगर
के नाम दर्ज है राजस्व अभिलेखों यथा 1359 फसली जोत चकबन्दी 41 व 45 व वर्तमान खतौनी में कृषि भूमि अंकित है। इसमें
सार्वजनिक/ग्राम सभा व धारा 77 की सम्मिलित नही है और उक्त भूमि के बावत किसी न्यायालय में कोई वाद विचाराधीन नही
है उक्त भूमि विवाद रहित है। उक्त भूमि पर आवेदक मौके पर काबिज एवं दाखील है। उक्त भूमि मे मौके पर खाली है। उक्त
भूमि में कृषि कार्य/मत्स्य पालन/कुक्कट पालन/बागवानी आदि का कार्य नहीं किया जा रहा है, बल्कि उक्त भूमि मौके पर कृषि
प्रयोजन के बजाये गैर कृषिक प्रयोजन में लाई जा रही है। उक्त भूमि हस्तीनापुर वन्य जीव विहार/सेंचुरी ऐरिया, सड़क व रेलवे
लाईन के अन्तगत नही आती है और ना ही उक्त भूमि किसी योजना/परियोजना के अन्तगत अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित नही है।
अन्त मे उक्त भूमि स्थित ग्राम आजादपुर माफी तहसील हसनपुर जिला अमरोहा के गाटा संख्या 187/0.1740है0 खाता खतौनी
संख्या 00245 यूनिक गाटा सं0 118199-0187-0000012 को गैर अकृषिक भूमि घोषित किये जाने हेतु आख्या संस्तुति सहित
प्रेषित की गयी है।

मैंने प्रार्थनी को सुना। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखीय साक्ष्यों एवं तहसीलदार हसनपुर की जाच आख्या दिनांक
10.09.2022 का अवलोकन एवं परीक्षण किया। तहसीलदार हसनपुर की जाच आख्यानुसार प्रार्थनी की भूमि कृषि प्रयोजन के
बजाय गैर कृषिक उपयोग में प्रयोग हो रही है। उक्त भूमि मे कृषि कार्य/मत्सय पालन/कुक्कट पालन/बागवानी आदि का कार्य
नहीं किया जा रहा है, बल्कि उक्त भूमि मौके पर कृषि प्रयोजन के बजाये गैर कृषिक प्रयोजन मे लाई जा रही है। उक्त भूमि
हस्तिनापुर वन्य जीव बिहार/सेंचुरी ऐरिया, सड़क व रेलवे लाईन के अन्तगत नही आती है और ना ही उक्त भूमि किसी योजना/
परियोजना के अन्तगत अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित है।

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता-2006 (संशोधन) अध्यादेश, 2019 की धारा-80(2) मे प्राविधानिक किया गया है कि इस
उपधारा के अधीन घोषणा के लिये जोत या उसके उपयोग भाग के चारो और चार दीवारी अवश्य होनी चाहिए, जो इस प्रयोजनार्थ
उपयोग किया जाना प्रस्तावित हो: परन्तु यह और कि यदि भूमिधर, इस उपधारा के अधीन घोषणा के दिनांक से पांच वर्ष की
अवधि के भीतर प्रस्तावित गैर कृषि सम्बन्धी गतिविधि प्रारम्भ करने मे विफल रहता है, तो उपधारा (2) के अधीन जोत या उसके
आंशिक भाग की घोषणा व्यपगत हो जाएगी, परन्तु यह और भी कि इस उपधारा के अधीन घोषणा भू-उपयोग परिवर्तन की कोटि
मे नही होगी और उक्त भूमि निरन्तर कृषि के रूप में ही समझी जाएगी, यथापि, भूमिधर ऐसी जोत या उसके आंशिक भाग,
जिसके लिए इस उपधारा के अधीन घोषणा प्राप्त की गई हो, पर प्रस्तावित अथवा परियोजना के लिए ऋण और अन्य आवश्यक
अनुज्ञाएँ, समाशोधन आदि प्राप्त करने का हकदार होगा। प्रार्थनी द्वारा राजस्व संहिता नियामवली-2006 के नियम-85 के
प्रस्तर-2 के अनुसार जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्धारित सर्किल रेट के अनुसार उक्त भूमि का एक प्रतिशत न्यायाल शुल्क
अंकन रूपये 5920-00 चालान सं0-8601/01/जे0आई0.00005 दिनंाक 01.10.2022, उदघोषणा शुल्क रूपये 5920-00 चालान
संख्या 8601/01/जे0आई0.00004 एंव सीमाकंन शुल्क रूपये 1000-00 चालान सं0-8601/01/जे0आई.00003 दिनांक
01.10.2022 को जमा किया जा चुका है। अतः उर्पयुक्त विवेचना से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि तहसीलदार हसनपुर की
जांच आख्या दिनांक 10.09.2022 स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः तहसीलदार हसनपुर की आख्यां दिनांक 10.09.2022 स्वीकार की जाकर आवेदक श्रीमती संगीता कान्त पत्नी कमल कान्त पुत्री विजयपाल सिंह निवासी बी0 9 सेक्टर 33 नोएडा गौतमबुद्धनगर भूमि स्थित ग्राम आजादपुर माफी तहसील हसनपुर जिला अमरोहा के गाटा सं0/क्षे0 187/0.1740है0 को लगान मुक्त करते हुए उ0प्र0 राजस्व संहिता-2006 की धारा-80(2) के अन्तर्गत अकृषिक घोषित किया जाता है। नजरी नक्शा एवं तहसीलदार हसनपुर की जांच आख्या दिनांक 10.09.2022 आदेश अंग रहेगी। आदेश की एक प्रति तहसीलदार हसनपुर को अमलदरामद हेतु एवं उप निबंधक हसनपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाये। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफतर हो।

दिनांक 01.10.2022

(सुधीर कुमार)

सहा0 कलैक्टर(प्र0 श्रेणी)/

उप जिलाधिकारी हसनपुर।